उत्तरांचल शासन

मुख्यमंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2003–2004 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तरांचल राज्य की महान जनता की शुभकामनाओं व सम्मानित माननीय सदस्यों के सहकार से मुझ सेवक को प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है । राज्य की वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण न हो पाने के कारण बजट को वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था तथा तीन माह के लिये लेखानुदान प्राप्त किया गया था । प्रदेश के विकास के लिये हमारी प्राथमिकतायें व रणनीति गतवर्ष के बजट में एवं इस वर्ष पूर्व में ही महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट की जा चुकी हैं। अतः मैं इन्हें विस्तार से नहीं दोहराऊँगा ।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष 2002--03 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने राज्य के गठन के समय से ही प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति की ओर इस संम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था। केन्द्र सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कतिपय राज्यों, विशेषकर सभी विशेष श्रेणी राज्यों, को घाटापूर्ति अनुदान दिया गया था परन्तु आयोग की संस्तुतियां राज्य के गठन से पूर्व प्राप्त हो जाने के कारण हमें इसका लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए आरम्भ से ही निरन्तर प्रयास किये गये परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में परिवर्धन करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। फिर भी हमने निरन्तर केन्द्र सरकार को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों तथा कठिनाइयों से अवगत कराते हुए विशेष सहायता का अनुरोध किया। हम केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा प्रदान करते हुए वर्ष 2002--2003 में लगभग रु0 1533 करोड़ की

वार्षिक योजना के लिए सहमति प्रदान की तथा इस वर्ष भी केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।

हमारी सरकार द्वारा निरन्तर अनुश्रवण एवं नियंत्रण से इस वित्तीय असंतुलन के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्ष 2002–2003 में हम केवल 30 दिन ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में रहे और एक बार भी भुगतान बन्द होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गयी। वर्ष 2001–2002 में लगभग रु0 765 करोड़ के आयोजनागत व्यय के सापेक्ष, वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार, लगभग रु0 1910 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक अनुमानों में प्रदर्शित रु0 1567 करोड़ राजस्व घाटे को पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर रु0 1193 करोड़ तक सीमित किया गया है। राजकोषीय घाटा भी आय–व्ययक अनुमान रु0 2317 करोड़ के सापेक्ष घटकर रु0 1844 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार जहां एक ओर

आयोजनागत व्यय के स्तर में काफी वृद्धि की गयी है वहीं पर आय में भी वृद्धि करते हुए घाटे को कम करने के साथ-साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर भी हमने सार्थक उपलब्धि हासिल की है।

वित्तीय प्रबन्धन :

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण-बदली (Debt-Swap) योजना का लाभ उठाते हुये 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाले रु0 648.83 करोड़ के ऋणों का भुगतान कर रु0 584 करोड़ की धनराशि को 6.75 से 6.95 प्रतिशत तक के बाजार ऋण में परिवर्तित किया गया तथा रु0 64.83 करोड़ की अल्प बचत ऋण की धनराशि जो 9 प्रतिशत पर प्राप्त हुई, की ऋण बदली की गई जिसके कारण राज्य सरकार के ऋणों पर देय ब्याज के दायित्व में प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ रुपये से अधिक की कमी होगी। इस वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के अन्तर्गत लगभग रु0 800 करोड़ के अधिक ब्याज दर के ऋणों के स्थान पर कम ब्याज दर पर ऋणों को प्राप्त

करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि राज्य पर ब्याज के दायित्व में और कमी आ सके ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। एकीकृत वेतन एवं भुगतान प्रणाली लागू करने से जहां सभी कर्मचारियों का वेतन समय से बैंक में पहुंच जाता है वहीं कटौती इत्यादि के सम्बन्ध में उन्हें विस्तृत सूचना उपलब्ध करा दी जाती है तथा यह सूचना इण्टरनेट पर भी उपलब्ध होती है। मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए कुछ संतोष है कि कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हमारे द्वारा अपनायी गयी इस प्रणाली का अध्ययन करने आ चुके हैं। कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के सही रख–रखाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गयी है तथा प्रथम चरण में वर्ग–'घ' के कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जिसकी इण्टरनेट पर भी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। पेंशन सम्बन्धी भुगतान, सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण इत्यादि की प्रक्रिया का सरलीकरण कर भुगतान

कम्प्यूटर पर आधारित किया गया है। प्रदेश के दूरस्थ अथवा अधिक कार्यभार वाले 10 स्थानों डीडीहाट, बेरीनाग, रानीखेत, भिकियासैंण, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, थराली, पुरोला, धूमाकोट तथा चकराता स्थित उप–कोषागारों को स्वतंत्र एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय घोषित किया गया है एवं इनका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

कोषागारों के माध्यम से व्यय तथा कर एवं करेत्तर राजस्व की सूचना कम्प्यूटर के आधार पर प्राप्त होने तथा भारतीय रिजर्व बैंक से भी प्रतिदिन के संव्यवहारों व अंतिम शेष की स्थिति इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होने के कारण दिन–प्रतिदिन के वित्तीय प्रबन्धन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष से यू0एस0एड0 (USAID) की सहायता से राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार परियोजना भी लागू किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए भारत सरकार से समझौता ज्ञापन हो चुका है तथा इस वर्ष आय–व्ययक में इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स उत्तरांचल के देहरादून एवं हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया, फीस का विवरण एवं कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले समस्त अधिनियमों व फार्मों की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। अब आवेदक स्वयं अपने आवेदन–पत्र की स्थिति भी इस वेबसाइट से ज्ञात कर सकते हैं। लगभग 46 हजार सोसायटियों व 15 हजार फर्मों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जिसमें सोसायटी के 'मेमोरण्डम ऑफ एसोसियेशन', सदस्यों के नाम एवं पते आदि का विवरण भी शामिल हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी ई–गवर्नेंस को सार्थक रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा।

बजटीय सुधार :

मा0 सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राज्य बजट को और अधिक सूचनाप्रद तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं।

नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती अवधि के आधारभूत आंकड़े उपलब्ध न होने तथा उत्तर प्रदेश से आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन भी पूर्ण न होने के कारण विभिन्न तत्सम्बन्धी सूचनायें संकलित नहीं की जा सकीं। अब, इस वर्ष के आय–व्ययक में राज्य सरकार के ऋण तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों (गारन्टी) का विवरण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक अनुदान के सम्बन्ध में वेतन–भत्तों, संचालन एवं अनुरक्षण, पूंजीगत परिव्यय आदि पर हुए व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अगले वर्ष और अधिक उपलब्ध व सार्थक सूचनायें बजट साहित्य में सम्मिलित किये जाने का प्रयास जारी रहेगा।

बजटीय रणनीति के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये समुचित व्यवस्था किये जाने को प्राथमिकता दी गई है ताकि पूर्व में स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जा सके जिससे किये गये व्यय का लाभ जनता व अर्थ व्यवस्था को मिल सके। निर्माण कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि परियोजनाओं के "टाइम ओवर रन" व

''कास्ट ओवर रन'' पर नियंत्रण रखा जा सके।

राजकोषीय सेवायें :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में मुख्य रूप से व्यापार कर, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन एवं मनोरंजन कर आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं सुधार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

व्यापार कर :

व्यापार कर राज्य के राजस्व का प्रमुख साधन है। गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि समस्त राज्यों के मतैक्य पर आधारित राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत पूरे देश में 'वैट प्रणाली' प्रारम्भ की जा रही है परन्तु विभिन्न राज्यों के बीच मतैक्य न स्थापित हो पाने के कारण अभी सभी राज्यों में नई 'वैट प्रणाली' लागू नहीं हो सकी है। राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर विभाग के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है तथा इस वित्तीय वर्ष के

आय–व्ययक में इस कार्य हेतु रु0 5.50 करोड़ का प्राविधान है।

जांच–चौकियों की स्थापना तथा सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2001–2002 में लगभग रु0 486 करोड़ की प्राप्तियों के विपरीत लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2002–2003 में रु0 560 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में लगभग रु0 620 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

व्यापार कर विभाग के लगभग सभी कार्यालय किराये के भवनों में स्थित हैं जहां स्थान इत्यादि की कमी होने के कारण करदाताओं को काफी असुविधा होती है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि संसाधनों की कमी होते हुए भी करदाताओं को यथासंभव सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और धीरे–धीरे व्यापार कर विभाग के ऐसे कार्यालयों का निर्माण कराया जायेगा जिनके कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ करदाताओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष आदि की व्यवस्था भी की जायेगी । इस वित्तीय वर्ष में ऐसे कार्यालयों के

निर्माण के लिए रु0 5.00 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारी :

प्रदेश में आबकारी में मदिरा के व्यापार से एकाधिकार को तोड़ने हेतु पूर्व के निर्णय को इस वित्तीय वर्ष में भी लागू किया गया है। मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए राज्य में 13 जांच चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं। देशी/विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर–युक्त होलोग्राम लगाने से अवैध मदिरा के व्यापार में प्रभावी अंकुश लगाया गया है। राजस्व की सुरक्षा एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभाग में 188 पदों के सृजन का प्राविधान नई मांग से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार लगभग रु0 246.00 करोड़ प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2003–2004 में रु0 286.00 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

परिवहन :

वाहन कर में वर्ष 2001–2002 में रु0 67.40

करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार रु0 76.69 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। वर्ष 2003–2004 में रु0 120 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है। उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम के अन्तर्गत करों की दरों तथा अवैध संचालन या बिना कर दिये संचालित हो रहे वाहनों से कर वसूलने के साथ शास्तियों के प्राविधान को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। प्रवर्तन दलों को प्रभावी बनाने के लिए वाहन एवं प्रदूषण संयंत्रों के क्रय हेतु नई मांग से व्यवस्था की गयी है। बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु 8 जांच चौकियां क्रियाशील की गयी हैं।

रजिस्ट्रेशन तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से सम्बन्धित कार्य के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। राज्य में स्वतंत्र परिवहन निगम बनाने का निर्णय लिया गया है जिसमें पूंजी निवेश हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। नागर विमानन क्षेत्र में हवाई पट्टियों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र के सहयोग से

केदारनाथ धाम के लिए हैलीकाप्टर की सुविधाएं इस वर्ष प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क :

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में भी वर्ष 2001–2002 में लगभग रु0 89 करोड़ प्राप्तियों के विरुद्ध 40 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग रु0 127 करोड़ की प्राप्तियां वर्ष 2002–2003 में अनुमानित हैं एवं इस वर्ष रु0 140 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है। स्टाम्प तथा पंजीकरण कार्यालय देहरादून में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली आरम्भ की जा चुकी है एवं इस वर्ष हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी व किच्छा में कम्प्यूटरीकरण हेतु रु0 1.30 करोड़ का प्राविधान है।

मनोरंजन कर :

सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप सिनेमा से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आयी है। राज्य में केबिल प्रसारण के प्रवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया

है जिससे केबिल से प्राप्त मनोरंजन कर में वृद्धि सम्भावित है। केबिल प्रसारण के नियमानुसार संचालन पर और अधिक बल दिया जायेगा जिससे जहां एक ओर केबिल से अधिक राजस्व प्राप्त होगा वहां सिनेमा हालों में भी दर्शकों की संख्या बढ़ने से मनोरंजन कर में वृद्धि होनी संभावित है। वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 4.85 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2003–2004 में मनोरंजन कर में रु0 6.58 करोड़ राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास :

मान्यवर, ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, सिंचाई, जलापूर्ति, पर्यटन, सभी प्रकार के रोजगार–परक उद्योग, खेती व फलीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य की प्रगति की मौलिक आवश्यकतायें हैं और हमने गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है।

ऊर्जा :

मैंने गतवर्ष इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि हमने प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत

क्षमता के दोहन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में पूर्वानुक्रम में 3000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन के लिये कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में टी0एच0डी0सी0 द्वारा टिहरी बांध परियोजना एक व दो (2000 मेगावाट), कोटेश्वर बांध परियोजना (400 मेगावाट), मनेरीभाली–2 (304 मेगावाट) तथा पूर्व से निजी क्षेत्र में दी गई विष्णुप्रयाग (400 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं व ऐसी ही श्रीनगर (330 मेगावाट) के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित कर दी गयी है। एन0टी0पी0सी0 के साथ लोहारीनागपाला (520 मेगावाट) तथा तपोवन विष्णुगाड़ (360 मेगावाट) के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। एन0एच0पी0सी0 के साथ लखवाड़ ब्यासी (420 मेगावाट) तथा कोटलीभेल (1000 मेगावाट) परियोजनाओं के सन्दर्भ में समझौता ज्ञापन किये जाने की कार्यवाही गतिशील है। टी0एच0डी0सी0 के साथ विष्णुगाड़–पिपलकोटी (340 मेगावाट) के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन किया जा चुका है तथा किसाउ बांध

परियोजना (600 मेगावाट) हेतु भी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सेक्टर में मनेरीभाली–2 के अतिरिक्त पालामनेरी–2 (416 मेगावाट) व बावला नन्दप्रयाग (132 मेगावाट) कार्यान्वित कराया जाना प्रस्तावित है। दस लघु जलविद्युत योजनाएँ (30.20 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं व 9 नई योजनाएँ (68 मेगावाट) जलविद्युत निगम को आवंटित की गई हैं। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारी सरकार ने अल्प अवधि में उल्लेखनीय प्रगति की है और हम निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं।

राज्य में विद्युत वोल्टेज व आपूर्ति में सुधार हेतु पारेषण एवं वितरण लाइनों का सुदृढ़ीकरण तेजी से किया जा रहा है। अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ 132 के0वी0 लाइन व 132 के0वी0 पिथौरागढ़ सबस्टेशन ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं। प्रदेश में एक 400 के0वी0, चार 220 के0वी0, दस 132 के0वी0 व पचपन 33 के0वी0 के सब स्टेशन विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं। इस हेतु भारत सरकार से त्वरित ऊर्जा विकास व

सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत गत वर्ष रु0 174.63 करोड़ की सहायता प्राप्त की गई है तथा इस वित्तीय वर्ष हेतु रु0 275.80 करोड़ का प्राविधान है।

उत्तरांचल में लगभग 84 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है परन्तु शेष दूरस्थ ग्रामों, तोकों व अनुसूचित/दलित बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य शेष है। इस वर्ष लगभग 800 ग्रामों व 600 तोकों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। लगभग 150 गांव वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकृत किये जायेंगे क्योंकि ये अत्यन्त दूरस्थ या दुर्गम हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु इस वर्ष रु0 75.00 करोड़ का प्राविधान है।

कई वर्षों से बन्द गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों हेतु कुटीर ज्योति संयोजन योजना को गत वर्ष पुनः प्रारम्भ किया गया एवं 40000 कनैक्शनों हेतु भारत सरकार की सहायता प्राप्त की गई। इस वर्ष भी तद्नुसार ही इस योजना को चलाया जायेगा। इसके अतिरिक्त निजी नलकूपों में विद्युत संयोजन हेतु

रु0 3.25 करोड़ का प्राविधान है।

वैकल्पिक ऊर्जा के अन्तर्गत बॉयो ऊर्जा, जैव पिण्ड, सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना तथा सुधारित घराट परियोजना इत्यादि के लिए रु0 33.65 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु :

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में मोटर मार्गों के नवनिर्माण हेतु 450 कि0मी0, हल्का वाहन मार्गों के नवनिर्माण हेतु 100 कि0मी0, पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों हेतु 350 कि0मी0 तथा 78 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 500 कि0मी0 मार्गों के नवीनीकरण एवं 105 अतिरिक्त गाँवों को यातायात सुलभ कराने का लक्ष्य है।

निर्माण कार्यों हेतु नाबार्ड व हडको (HUDCO) से भी अधिकाधिक धनराशि प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्तर्राज्यीय संयोजन योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनायें स्वीकृत हैं एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 15.44 करोड़ का प्राविधान है। दोनों कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। केन्द्रीय सड़क निधि

के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा रु0 28.55 करोड़ की लागत की 23 योजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें से 11 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसके लिए रु0 7.50 करोड़ का प्राविधान है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गैर विभागीय संस्थाएं यथा–आई0आई0टी0 रूड़की आदि से क्वालिटी आडिट करवाया जाना भी प्रस्तावित है।

प्रदेश की सड़क अवस्थापनाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये भी एक परियोजना परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं योजना आयोग, भारत सरकार से संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात्, विश्व बैंक को प्रेषित की गयी है।

सिंचाई :

उत्तरांचल में वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण की अधिक संभावनाएं न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी नहरों, गूलों तथा लघु डाल नहरों को सुदृढ़ करने तथा तराई–भाबर एवं

मैदानी क्षेत्रों में नहरों एवं नलकूपों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 3 करोड़, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 49.53 करोड़ तथा नाबार्ड पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रु0 15.00 करोड़ का प्राविधान है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उपलब्ध सम्भावनाओं का अधिक से अधिक दोहन किये जाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

सूचना प्रौद्योगिकी को हमारी सरकार द्वारा वर्तमान परिदृश्य में विकास के लिए एक अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के रूप में लिया गया है। इसका उद्देश्य, जहां एक ओर शासन के कार्य–कलापों में त्वरित गति से सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण एवं पारदर्शिता लाना है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के नवयुवकों के लिये रोजगार सृजन की संभावनाओं का विकास करना है।

राज्य मुख्यालय पर राजभवन, मुख्यमंत्री

कार्यालय एवं आवास, विधान सभा तथा सचिवालय में कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय, मंडलीय एवं जनपद मुख्यालयों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित एवं क्रियाशील की जा चुकी है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों तथा विकास खण्डों में कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा आई0आई0टी0, रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित फार्मों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि अन्ततोगत्वा आवेदन एवं स्वीकृति के कार्य इन्टरनेट के माध्यम से सम्भव हो सकें। एक योजना यू0एन0डी0पी0 से भी स्वीकृति कराई गई है, जिसका क्रियान्वयन आई0आई0टी0 रूड़की के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य के युवा वर्ग में इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के सन्दर्भ में क्षमता एवं दक्षता के विकास के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना "आरोही" प्रारम्भ की गई है।

यह संतोष का विषय है कि विश्वविख्यात सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान "माइक्रोसाफ्ट" के अध्यक्ष श्री बिल गेट्स के साथ परामर्श के बाद देश के लिए घोषित "शिक्षा" परियोजना का शुभारम्भ केरल के साथ–साथ उत्तरांचल से करने का निर्णय लिया गया। इस कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत उनके साफ्टवेयर एवं उत्पादों को हिन्दी भाषा में विकसित करने के लिए देश में प्रथम प्रयोगशाला भी उत्तरांचल में स्थापित की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003–04 में रुपये 13.00 करोड़ का प्राविधान है तथा राज्य हेतु आर्थिक सुधार परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के अन्तर्गत बाह्य सहायता से रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था नई मांगों से की गयी है।

पेयजल :

गत वर्ष 128 बंद एवं आंशिक बंद पेयजल योजनाओं को पूर्ण रूप से चालू कराया गया तथा

इस वर्ष लगभग 445 बंद/आंशिक बंद पेयजल योजनाएं चरणबद्ध रूप से चालू की जायेंगी। इस वर्ष त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 35.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैण्ड पंपों की सफलता को देखते हुए, हैण्ड पंपों की स्थापना के लिए रु0 4.00 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए रु0 52.00 करोड़ तथा योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 18.00 करोड़ का प्राविधान है।

प्रदेश के 63 नगरीय क्षेत्रों में से लगभग 40 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण एवं वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर के अंतर्गत रु0 10.00 करोड़ की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 20 हजार से कम जनसंख्या वाले 18 नगरों में त्वरित–नागर–कार्यक्रम के अंतर्गत रु0 7.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

उत्तरांचल में अभी तक मात्र 20 नगरों में आंशिक रूप से जलोत्सारण व्यवस्था उपलब्ध है, जिन्हें अधिक सुदृढ़ करने हेतु रु0 6.00 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त देहरादून, पौड़ी, मसूरी, हल्द्वानी एवं पिथौरागढ़ में जलोत्सारण या पेय–जल व्यवस्था के प्रस्ताव भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित किये गये हैं।

भारत सरकार के गंगा प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान प्रथम व द्वितीय चरण के अंतर्गत योजनाओं के लिए कुल रु0 15.00 करोड़ का प्राविधान है।

स्वजल परियोजना द्वितीय चरण हेतु रु0 500.00 करोड़ की परियोजना विश्व बैंक को प्रेषित की गयी है जिसमें लगभग 2500 ग्रामों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। आशा है कि इस वर्ष इस पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को सेक्टर रिफार्म पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत

चयनित किया गया है। परियोजना की लागत रुपये 40.00 करोड़ है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 11.22 करोड़ की धनराशि सीधे हरिद्वार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्गत की जा चुकी है।

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2002 से एक नई ग्रामीण पेयजल योजना "स्वजलधारा" की घोषणा की गई है, जिसमें सहभागिता के आधार पर पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव किये जाने पर बल दिया जा रहा है। इस योजना हेतु रु0 10.00 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा रूद्रप्रयाग में संपूर्ण स्वच्छता अभियान भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जा रहा है।

इस वर्ष राज्य में पेयजल उपलब्धता की सही स्थिति का आंकलन करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों में जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल

संरक्षण की विशेष योजना तैयार कराई जा रही है। पारम्परिक विधियों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र रूड़की से कार्य योजना बनवाई जा रही है। इसमें हैण्ड पंपों का निर्माण/रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं जलस्रोतों के संवर्द्धन हेतु ग्रामों में पूर्व में निर्मित चाल/खाल (पौण्डस) को पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में प्रभावी जल प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु जलागम निदेशालय में एक "वाटर मिशन" की स्थापना की गई है। ग्रीष्मकाल में अनेकानेक स्थानों में पेयजल की भारी कमी के निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास :

प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से संचालित सर्व–शिक्षा–अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिये हम प्रयासरत हैं।

अन्य कार्यक्रमों के साथ इन योजनाओं के

अन्तर्गत असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय मानक के अनुसार खोले जा रहे हैं, विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पका–पकाया खाना उपलब्ध कराने की कार्यवाही वर्ष 2002–03 में प्रदेश के 26 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गयी थी, जिसे इस वर्ष समस्त विकास खण्डों में संचालित करने का संभावित लक्ष्य है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के अन्तर्गत कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2003–04 में प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग रु0 533 करोड़ का प्राविधान है।

माध्यमिक शिक्षा :

कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय

माध्यमिक विद्यालयों में लगभग शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस वर्ष ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत रु0 5.00 करोड़ का प्राविधान है, जिससे कि कम्प्यूटर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। इस वर्ष सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी कम्प्यूटर शिक्षा के विस्तार हेतु रु0 1.98 करोड़ का प्राविधान है।

इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक राजीव गाँधी राज्य नवोदय विद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया गया है। इस योजना हेतु नई मांग से रु0 10.92 करोड़ का प्राविधान है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भवनहीन विद्यालयों/जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण योजना में इस वर्ष ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान से भी ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में ढांचे का उन्नयन किया जाना है। विज्ञान अध्ययन की सुविधा हेतु नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण प्रस्तावित है, साथ ही 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्यों

के लिये रु0 32.46 करोड़ का प्राविधान है।

असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना–योजना के अन्तर्गत 21 असेवित विकास खण्ड हैं जिनमें से इस वित्तीय वर्ष में 16 असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूलों की स्थापना प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के लिये कुल रु0 514.61 करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षा :

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि तथा राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठयक्रम प्रारम्भ किये जाने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 15 राजकीय महाविद्यालयों के लिए, सूचना तकनीकी पर आधारित, दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय के उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु एवम् रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की योजना हेतु नयी मांग से रु0 6.70 करोड़ का प्राविधान है। उत्तरांचल संस्कृत अकादमी को अनुदान के लिए नई मांग से

रु0 50 लाख का प्राविधान है। महाविद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास व भवनों के निर्माण हेतु लगभग रु0 9.00 करोड़ का प्राविधान है।

प्राविधिक शिक्षा :

प्रदेश के 15 राजकीय पॉलिटेक्निकों में संचालित डिप्लोमा स्तरीय एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु उपकरणों आदि की कमी को देखते हुए गत वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा इस वर्ष भी इन पॉलिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण किया जायगा। निर्माण कार्यों के लिए रु0 3 करोड़ की व्यवस्था है। इस वर्ष प्रदेश में एक महिला पॉलिटेक्निक, कोटाबाग में खोले जाने की योजना है जिसके लिए नई मांग से रु0 50.00 लाख का प्राविधान है।

प्रदेश के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों घुड़दौड़ी (पौड़ी), पंतनगर व द्वाराहाट में अवस्थापना सुविधाओं यथा उपकरणों का क्रय, छात्रावास निर्माण इत्यादि के लिए रु0 14.07 करोड़ का प्राविधान है।

पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए उपकरणों, प्रयोगशालाओं तथा संकाय व्यवस्था आदि

के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गयी है।

खेलकूद एवं युवा कल्याण :

हमारी सरकार खेलकूद के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं, यथा स्टेडियम आदि के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के साथ प्रशिक्षण की आधुनिकतम व्यवस्था सुलभ कराने हेतु प्रयासरत है। प्रतिभावान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों को यथावश्यक सुविधाएं तथा वातावरण सुलभ कराने का प्रयास किया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उदीयमान खिलाड़ियों को सफलता प्राप्त हो सके। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि खेल जगत रोजगार का माध्यम बन सके। देहरादून में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए रु0 3.65 करोड़, अगस्त्यमुनि में इसी कार्य के लिए रु0 1.75 करोड़ तथा देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन निर्माण के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भी इस वर्ष नई मांगों के माध्यम से रु0 2.50 करोड़ का प्राविधान है।

युवा कल्याण योजनाओं हेतु युवा कल्याण परिषद्

को रु0 10 लाख के अनुदान का प्राविधान है। प्रान्तीय रक्षक दल के कल्याणार्थ इस वर्ष नई मांग के माध्यम से एक कल्याण कोष की स्थापना हेतु रु0 10 लाख का प्राविधान है।

संस्कृति :

राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन तथा संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि के विकास, तथा प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों को संरक्षण, सर्वेक्षण तथा अनुरक्षण के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। इसके क्रम में पौड़ी में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना तथा अल्मोड़ा एवं देहरादून में लोक नृत्य एवं भरतनाट्यम संकाय खोले जाने के लिए नई मांगों से व्यवस्था की गयी है। महान विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना के लिए भी नई मांग से रु0 30.00 लाख का प्राविधान है। शहीद स्मारकों के निर्माण के लिए भी रु0 50 लाख का प्राविधान है। पुरातत्व संरक्षण के लिए रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान है।

अर्धकुम्भ :

अर्धकुम्भ–2004 उत्तरांचल के सृजन के बाद सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा जहां लाखों की संख्या में देश–विदेश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु, पवित्र भाव अपने हृदय में संजोये एकत्र होंगे। उन्हें निर्विघ्न एवं निरापद स्नान कराकर सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना प्रशासन के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है। रोशनी, सड़कों, पानी, चिकित्सा, उपभोक्ता सामग्री, सफाई, यातायात आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने की तैयारी हमने गत वर्ष से ही आरम्भ कर दी थी तथा महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं के निर्माण का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है। इस वर्ष अर्धकुम्भ मेले के लिए आय–व्ययक में रु0 100 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पुलिस तथा होमगार्डस के लिए लगभग रु0 21 करोड़ का प्राविधान है। भगवत अनुकम्पा तथा सभी संतों–महंतों, अखाड़ों, मेलावासियों, यात्रियों तथा हजारों कर्मचारियों एवं सुरक्षा बल के लोगों के सहयोग से हम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए

कृतसंकल्प हैं।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्।।

के संकल्प के साथ हम श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :

उत्तरांचल राज्य में सभी के लिये स्वास्थ्य हेतु सामान्य स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने हेतु सरकार कृत संकल्प हैं, जिसके परिपेक्ष्य में समेकित स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य नीति घोषित की जा चुकी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इस वित्तीय वर्ष में 50 उपकेन्द्रों की स्थापना, 40 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण, 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण, 10 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण, 2 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का लक्ष्य है। इसके साथ ही तहसील स्तरीय चिकित्सालयों को चरणबद्ध तरीके से उच्चीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार द्वितीय स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत देहरादून (पुरुष व महिला चिकित्सालय), हरिद्वार (पुरुष व महिला चिकित्सालय) तथा पिथौरागढ़ (पुरुष व महिला चिकित्सालय), महिला चिकित्सालय, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, काशीपुर तथा जिला चिकित्सालय रुद्रपुर के सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जनपद रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय का भवन निर्मित होने तक अतिरिक्त विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

विश्व बैंक पोषित हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 35 चिकित्सा इकाईयों के नवीनीकरण में से 17 में कार्य प्रगति पर है तथा शेष 18 चिकित्सालयों में नवीनीकरण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इन सभी चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष रु0 35.47 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर में मेडिकल कालेज के प्रयास तेज कर दिये गये हैं और वर्तमान अस्पताल के विस्तारीकरण

आदि कार्यों के लिये रु0 3 करोड़ की व्यवस्था है। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में वन ट्रस्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी के विभिन्न कार्य भी चल रहे हैं ताकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके। केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ए0आई0आई0एम0एस0 के स्थान चयन के लिये भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

इस वर्ष चिकित्सा विभाग के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं स्टाफ के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए रु0 1 करोड़, टनकपुर तथा रामनगर चिकित्सालयों के उच्चीकरण के लिए रु0 18.04 लाख, पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए रु0 37.32 लाख, जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रु0 50 लाख, राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर में मशीन/ उपकरणों की व्यवस्था के लिए रु0 70 लाख, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 20 करोड़, उत्तरांचल विधान

सभा में औषधालय की स्थापना हेतु रु0 10 लाख, जनपद रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय की स्थापना हेतु रु0 9.63 लाख का प्राविधान है।

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा :

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस वर्ष नयी मांगों के माध्यम से होम रैमिडीज किट योजना के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग के 100 ग्रामों को आयुर्वेदिक विभाग द्वारा सेवित किये जाने हेतु रु0 11.14 लाख, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 1.90 लाख, आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 1.00 लाख, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में स्टाफ नर्स एवं टेक्निशियनों को प्रशिक्षण के लिए रु0 8.12 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिए रु0 1.70 करोड़ का प्राविधान है।

आवास तथा नगर विकास :

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में

नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या 25.59 प्रतिशत हो गयी है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विभिन्न नगरीय सुविधाओं पर दबाब बढ़ा है। इस परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार की जा रही है तथा विभिन्न योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं। छोटे एवं मध्यम नगरों की समेकित विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व में देहरादून, हल्द्वानी, काठगोदाम एवं पिथौरागढ़ को लिया गया था। इस वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत 11 अन्य नगरों को लिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत रु0 4.00 करोड़ का प्राविधान है। देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य चल रहा है व इस वर्ष अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार का निर्माण भी प्रस्तावित है।

हड्को से सहायतित बाल्मिकी–अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत रु0 9.18 करोड़ का प्राविधान है। कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान के लिए रु0 11.46 करोड़ का प्राविधान है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 1.67 करोड़ तथा मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए रु0 2.20 करोड़ का प्राविधान है।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी रु0 8 करोड़ का प्राविधान है। 11वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगरीय निकायों को वित्तीय संक्रमण के रूप में लगभग रु0 73.59 करोड़ के अनुदान का प्राविधान है, जिससे नगरीय निकाय, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए और सक्षम हो सकेंगे।

उद्योग :

30 मार्च, 2002 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा नैनीताल भ्रमण के समय उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश के लिये उत्तर–पूर्वी राज्यों तथा जम्मू–काश्मीर की तरह विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की गयी थी, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य एवं हिमाचल प्रदेश के लिये विशेष औद्योगिक पैकेज की अधिसूचना जारी की गयी है। इस विशेष औद्योगिक पैकेज में नई औद्योगिक इकाईयों एवं पूर्व में

स्थापित इकाईयों के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक इकाईयों को उत्पाद शुल्क में 10 वर्ष की अवधि हेतु शत–प्रतिशत रियायत तथा आयकर में प्रथम पांच वर्ष हेतु पूर्ण छूट, तत्पश्चात अगले पांच वर्ष के लिये कम्पनियों हेतु 30 प्रतिशत की छूट व अन्य के लिये 25 प्रतिशत छूट का प्राविधान है। साथ ही साथ 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रु0 30 लाख तक का उपादान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पोषण प्रणाली (फंडिंग पैटर्न) उत्तर–पूर्वी राज्यों की तरह हो जाने से उत्तरांचल को उपादान के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी।

उत्तरांचल में गत वर्ष उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, एक बहुउद्देशीय निगम के रूप में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य में औद्योगिक अवस्थापना विकास केन्द्र, विशेष आर्थिक जोन, थीम पार्क आदि स्थापित/विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तरांचल

राज्य के गठन के समय से राज्य के पारम्परिक उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योगों को देश के मानचित्र पर लाने के सतत प्रयास किये जाते रहे हैं। गत वर्ष विभिन्न व्यापार मेलों में भाग लेते हुए भावी पूंजी निवेशकों को राज्य की नीति एवं उत्पादों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ विभिन्न मेलों द्वारा हस्तशिल्पियों को विभिन्न प्रकार की विपणन सुविधायें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों के विपणन के लिये अरबन हाट की स्थापना इस वर्ष कर ली जायेगी। हस्तशिल्प के क्षेत्र में नवीनतम बुनाई, निर्माण तकनीकियों को प्रारम्भ करने एवं पुरानी तकनीकियों में सुधार करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक क्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है जिसकी कार्ययोजना नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा तैयार की जा रही है। राज्य में ऊनी खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु गत वित्तीय वर्ष में स्वायत्तशासी उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की

स्थापना भी की गयी है।

इस वर्ष औद्योगिक विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिये रु0 15.00 लाख, जिला उद्योग केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये रु0 15.00 लाख, अवस्थापना विकास कम्पनी लिमिटेड (U-DEC) की स्थापना हेतु रु0 24.00 लाख, क्राफ्ट डिजाइन सेन्टर की स्थापना हेतु रु0 10.00 लाख का प्राविधान है।

भूतत्व एवं खनिकर्म :

उत्तरांचल राज्य में खनिज विकास की काफी सम्भावनाएं हैं किन्तु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इस सम्पदा का उल्लेखनीय विकास एवं दोहन नहीं हो सका है। राज्य की अधिकाँश खनिज सम्पदा वन क्षेत्रों में होने के कारण यह आवश्यक होगा कि खनिजों के सर्वेक्षण एवं खनन हेतु वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत दीर्घकालीन योजना बनाई जाये। इस पृष्ठभूमि में खनिज विकास एवं खनन कार्यों में गतिशीलता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में अनुभवी एवं दक्ष संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2002—03 में राज्य के अन्तर्गत विभिन्न नदी तलों के उप खनिज बाहुल्य क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं मानचित्रीकरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2002—03 में प्राप्ति के लक्ष्य रु0 20.00 करोड़ के सापेक्ष लगभग रु0 22.70 करोड़ राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2003—04 में रायल्टी से प्राप्त आय का लक्ष्य रु0 30.00 करोड़ रखा गया है।

राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल (रूड़की):

राजकीय मुद्रणालय, रूड़की राज्य सरकार की नोडल प्रेस है। वर्तमान परिवेश में मुद्रण पद्धति में आ रहे बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक एवं उत्तम तकनीकी से युक्त मशीनें क्रय कर स्थापित की गई हैं। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात राज्य की मुद्रण आवश्यकताओं के दृष्टिगत विधान भवन, देहरादून एवं उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक—एक मिनी मुद्रणालय की स्थापना का कार्य भी इस वर्ष पूर्ण कर दिया जाएगा।

पर्यटन :

विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तरांचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में स्थापित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक, बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित रूप से विकास कर, आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिये विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु, पर्यटन को उत्तरांचल का पर्याय बनाने की भावना को लेकर, उत्तरांचल की पर्यटन नीति के अनुसार तैयार की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सुनियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं यथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिये उपादान योजनायें, मानव संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है।

गत वर्ष अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये यथा हेमपुर में वृहद पर्यटन काम्प्लैक्स, द्‌यारा–बुग्याल में शीत क्रीड़ा काम्प्लैक्स, मसूरी के निकट रिसोर्ट परियोजना तथा ट्रैकिंग मार्गों के विकास के लिये परियोजना रिपोर्ट व मास्टर–प्लान तैयार कराये गये, और इन परियोजनाओं पर इस वर्ष कार्य आरम्भ किया जायेगा। वैकल्पिक पर्यटन के गंतव्यों के विकास के लिए लैंसडाउन–पौड़ी–खिर्सू तथा पिथौरागढ़–मुनस्यारी पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार नैनीताल क्षेत्र की झीलों के पुनर्जीवीकरण व विकास के लिए लगभग रु0 95.00 करोड़ की परियोजना पहले ही केन्द्र सरकार को भेजी गयी है और आशा है कि इसमें शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। चार–धाम यात्रा से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं आदि के विकास के लिये भी मास्टर–प्लान तैयार किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पर्यटन सर्किटों के विकास की योजना के अन्तर्गत चार–धाम यात्रा

सर्किट को भी सम्मिलित करने की घोषणा की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में एक राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है जिससे राज्य में पर्यटन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले मानव संसाधन विकसित होंगे।

उत्तरांचल में पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता तथा स्वरोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" गत वर्ष प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत निजी उद्यमियों को पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए रु0 10.00 लाख तक किये गये पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 2.00 लाख की धनराशि राज सहायता के रूप में सुलभ हो सकेगी।

इस वर्ष औली में स्केटिंग रिंक की स्थापना के लिये नई मांग से रु0 40.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गयी थीं, जिनमें से अधिकांश को गत वर्ष पूर्ण कराया गया है तथा शेष पुरानी योजनाओं

को इस वर्ष पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा मार्गों के विकास के लिए रु0 9.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

कल्याण योजनाएं :

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण :

हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास एवं उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस क्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। 9 आश्रम पद्धति विद्यालय तथा छात्रावास जो कई वर्षों से किराये के अथवा जीर्ण–शीर्ण भवनों में चल रहे थे, के भवन निर्माण हेतु गत वर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस वर्ष इस कार्य हेतु रु0 8.60 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त छात्रावासों के संचालन एवं रख–रखाव, बुक बैंक, पूर्व परीक्षा कोचिंग आदि की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 22.50 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु रु0 4.90 करोड़ का प्राविधान

है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले निर्बल वर्गों यथा–रिक्शा चालक, मोची, बुक्सा, राजी, आदिम जनजातियों एवं धर्म सेवकों हेतु जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम हेतु रु0 15 लाख की व्यवस्था की गई है। यह कार्य इस वर्ष बढ़ाया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का पुनः सर्वे कराया जा रहा है तथा कमजोर वर्गों के विभिन्न समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु चिन्हित कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जायेगा जिसके लिए यथा समय अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराई जायेगी। अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार योजनाओं के लिए अंशपूंजी निवेश के लिए नई मांग से रु0 1.00 करोड़ की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों के लिए बहुउद्देशीय निगम के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं हेतु रु0 6.53 करोड़ अनुदान तथा रु0 2.00 करोड़ अंशपूंजी का प्राविधान है। आदिम जनजाति यथा, बुक्सा, राजी आदि के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत

रु0 3.00 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन में कुछ वर्षों से नये लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस वर्ष नये लाभार्थियों को भी पेंशन अनुमन्य कराने के लिए पेंशन की धनराशि में वृद्धि की गयी है जिससे लगभग 6000 से अधिक नये लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इस हेतु रु0 7.56 करोड़ का प्राविधान है। हरिद्वार में राजकीय विशेष गृह एवं बाल गृह के भवन के निर्माण हेतु रु0 3.75 करोड़ का प्राविधान है। युवक/युवतियों द्वारा अन्तरजातीय/अन्तरधार्मिक विवाह करने पर उन्हें प्रोत्साहन हेतु रु0 5 लाख की व्यवस्था है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण :

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रु0 2.11 करोड़ का प्राविधान है। पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार योजनाएं स्थापित करने हेतु बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी के रूप में रु0 10 लाख का प्राविधान है।

विकलांग कल्याण :

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 7.72 लाख, विकलांग भरण–पोषण अनुदान हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। विकलांग जनों हेतु स्वरोजगार के लिए अंशपूंजी के लिये रु0 10 लाख का प्राविधान प्रथम बार नई मांग से किया गया है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह का निर्माण पूर्ण करने हेतु रु0 50 लाख तथा इसके संचालन हेतु पदों के सृजन आदि की व्यवस्था नई मांग से की गयी है।

अल्पसंख्यक कल्याण :

अरबी, फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष विशेष प्रयास किया जायेगा तथा इसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। मदरसों को विविध अनुदान हेतु रु0 19 लाख की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु लगभग रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। हज हाउस के निर्माण के लिए गत वर्ष वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वरोजगार योजनाओं के लिए निगम में अंशपूंजी निवेश हेतु रु0 10 लाख का प्राविधान हैं। 15 सूत्री कार्यक्रम

लागू करने पर भी विशेष ध्यान प्रस्तावित है।

सैनिक कल्याण :

हमारी सरकार द्वारा सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाएं एवं सेवाएं सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। वार मेमोरियल छात्रावास लैंसडाउन के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 10 लाख, विभिन्न पुरस्कार प्राप्त सैनिकों तथा सैनिकों के आश्रित, विधवाओं आदि को पेंशन दिये जाने हेतु रु0 3.25 करोड़, तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 20.30 लाख का प्राविधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण तथा बाल विकास को हमारी सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता दी गयी है। हमारी रणनीति तथा लक्ष्य निम्नवत हैः—

केन्द्र सरकार से 45 नवीन बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रति आंगनबाड़ी लाभार्थियों का मानक 84 से बढ़ाकर 105

लाभार्थी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण की व्यवस्था लागू की गई है। किशोरियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जायेगा जिसके लिए किशोरी शक्ति योजना समस्त विकास खण्डों में लागू किये जाने का प्रयास किया जायेगा। स्व–शक्ति एवं स्वयं सिद्धा योजनाओं को लागू करते हुए महिलाओं में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत रु0 1.11 करोड़, स्वयंसिद्धा योजना के अन्तर्गत रु0 48 लाख, 45 नयी आई0सी0डी0एस0 योजनाओं के लिए लगभग रु0 3.40 करोड़, स्वशक्ति परियोजना के लिए रु0 1.60 करोड़ तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण व इनमें हैण्ड पम्पों की स्थापना के लिए लगभग रु0 8.76 करोड़ का प्राविधान किया गया है। महिला कल्याण बीमा योजना हेतु रु0 60 लाख, विधवाओं से विवाह करने पर पुरस्कार के लिए रु0 17.75 लाख तथा निराश्रित विधवाओं एवं बच्चों के भरण–पोषण की व्यवस्था के लिए लगभग रु0 7.87

करोड़ का प्राविधान है। इस वर्ष महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक नयी योजना इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना राज्य सरकार द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए नई मांगों से रु0 2.50 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि :

कृषि तथा बागवानी, जो कि प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था का मूल आधार है, गत वर्ष खरीफ के मौसम में वर्षा कम होने से राज्य के कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे 1.95 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य के विपरीत कुल 1.6 लाख मैट्रिक टन ही उत्पादन होने का अनुमान है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि अधिकांशतः वर्षा आधारित है और, छोटी–छोटी, छितरी हुई जोतों के चलते उत्पादकता एवं कृषि क्रियाओं से प्राप्त होने वाली आय बहुत कम है। इसके चलते कृषि विविधीकरण एवं उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

खाद्यान्न उत्पादन की अधिकांश योजनाएं केन्द्र

पोषित हैं इसके अन्तर्गत खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मक्का विकास इत्यादि के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बाह्य सहायतित कृषि विविधिकरण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिए रु0 34.47 करोड़ का प्राविधान इस वर्ष किया गया है।

बासमती धान के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में बासमती निर्यात जोन की स्थापना की गयी है तथा तराई विकास एवं बीज निगम एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से विभिन्न प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही हैं।

दैवीय आपदा से कृषकों को होने वाली हानि से बचाने के लिए गत वर्ष से लागू फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जैविक कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके क्रम में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर आर्गनिक बीज उत्पादन हेतु नई मांग

के माध्यम से रु0 25.00 लाख का प्राविधान है।

बॉयो टैक्नॉलोजी के बढ़ते महत्व तथा संभावनाओं के दृष्टिगत पंतनगर विश्वविद्यालय में एक बॉयो कृषि रिसर्च इकाई की स्थापना की गयी है। इसके लिए इस वर्ष रु0 5.00 करोड़ का प्राविधान है।

जलागम प्रबन्ध :

जलागम प्रबन्ध की बाह्य सहायतित परियोजना भी संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत भू एवं जल क्षरण तथा पर्यावरण ह्रास को रोकने, कृषि, औद्यानिकी, पशुधन एवं ग्रामीण अवस्थापनाओं के विकास हेतु रु0 47.11 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :

हमारी सरकार द्वारा औद्यानिकी एवं बागवानी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य संस्थाओं से पोषित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त नवीनतम तकनीकी एवं शोध कार्यक्रमों को प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय एवं हिल कैम्पस, रानीचौरी को विभागीय

प्रसार तंत्र से सम्बद्ध किया गया है। औद्यानिकी विकास की 10 नयी योजनाओं को प्रारम्भ किया गया जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस वर्ष रेशम कीट पालन हेतु वृक्षारोपण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नयी योजना भी आरम्भ की जा रही है। उद्यानों में उन्नत प्रजाति के वृक्षों को लगाने की योजना के अन्तर्गत अमरीका से फल बीज पौध आयातित कर राजकीय उद्यान चौबटिया एवं रानीचौरी में रोपण किया गया है तथा इन मातृ पौधों का अध्ययन कर उपयुक्त किस्मों का व्यवसायिक प्रसारण कर उद्यानपतियों को वितरित किया जायेगा। विभाग के अन्तर्गत 104 उद्यानों में से चयनित 27 उद्यानों का सुदृढ़ीकरण कर उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री उत्पादित की जायेगी तथा पूर्व के निर्णय के अनुसार शेष अलाभकारी 77 उद्यानों को निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रौद्योगिकी प्रसार एवं विपणन सुविधा प्रदान करने के लिये विकसित किया जायेगा। बेमौसमी सब्ज़ी व फलोत्पादों के लिये बाजार सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में,

राज्य में लीची, जड़ी–बूटी तथा फूलों की खेती से सम्बन्धित तीन निर्यात जोन भी स्थापित किये गये हैं। जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में एक समेकित बहु–आयामी कार्य योजना भी बनायी गयी है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

राज्य में स्थापित 10 चीनी मिलों में प्रतिवर्ष लगभग 500 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की जाती है, जिसमें से लगभग 95 लाख कुन्तल गन्ना उ0प्र0 से प्राप्त करना होता है। राज्य में औसत गन्ना उपज में सुधार लाने एवं चीनी मिलों के औसत चीनी परता में बढ़ोत्तरी प्राप्त करने के उद्देश्य से 5 वर्षीय बीज बदलाव कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिससे शुद्ध, रोग रहित बीज उपलब्ध कराकर अधिक उत्पादकता एवं शर्करा देने वाली प्रजातियों का प्रसार हो सके।

पेराई सत्र 2001–2002 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल 471.74 लाख कुन्तल गन्ना पेराई की गई, और इसके सापेक्ष कुल देय गन्ना मूल्य रु0 442.54 करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान गत वर्ष सुनिश्चित किया गया। इस वर्ष दिनाँक 05–06–2003 तक लगभग

रु0 252 करोड़ गन्ना मूल्य मद में भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में चीनी उद्योग राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तथापि समस्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राथमिकता पर कराये जाने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। गन्ना मिलों के सुधार व आधुनिकीकरण के प्रयास भी जारी हैं।

पशुपालन तथा दुग्ध विकास :

उत्तरांचल में कृषि के साथ–साथ पशुपालन आजीविका का मुख्य परम्परागत साधन रहा है। राज्य के लगभग 48 लाख पशुओं एवं 8 लाख कुक्कुट पक्षियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पशुओं को उन्नत चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

राज्य में पशु चारा की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में चारा बैंकों की स्थापना एवं अनुपयोगी भूसा/चारा घास को उपचारित करने की एक नई योजना के लिए रु0 1.08 करोड़ का

प्राविधान किया गया है।

डेयरी विकास :

ग्रामीण स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों, जनपद स्तर पर दुग्ध संघ तथा राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण, नई समितियों के संगठन तथा पुरानी बन्द पड़ी समितियों के पुनर्गठन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए रु0 2.53 करोड़, डेयरी विकास योजना में रु0 2.78 करोड़, महिला डेयरी विकास योजना में रु0 1.15 करोड़ एवं सघन मिनी डेरी परियोजना के लिए रु0 1.37 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, सतत रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तरांचल के सभी जनपदों में महिला डेयरी कैटिल इन्डक्शन नामक नई योजना प्रस्तावित है जिसके लिए रु0 16 लाख का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त समन्वित डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में 30 हजार लीटर

क्षमता व ऊधमसिंह नगर में 50 हजार लीटर क्षमता की दुग्धशाला की स्थापना के अतिरिक्त देहरादून व नैनीताल की दुग्धशालाओं के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 19.11 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है।

मत्स्य विकास :

उत्तरांचल में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में विविध आकार एवं प्रकार की जल सम्पदा एवं संसाधन उपलब्ध हैं जिनके नियोजित दोहन के लिए मत्स्य पालन विभाग द्वारा विभिन्न बहुआयामी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्तरांचल के समस्त जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना भी चलाई जा रही है। मत्स्य विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये आयोजनागत मद में रु0 1.68 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यतः विभिन्न केन्द्र पोषित राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं संचालित की

जा रही हैं। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 56.87 करोड़ का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत 1300 स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 2300 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड से सहायता तथा 4000 समूहों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 48.35 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 73.57 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया तथा लगभग 50 हजार टन खाद्यान्न भी वितरित किया गया। इस वर्ष इस योजना हेतु रु0 92.36 करोड़ का प्राविधान है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष रु0 46.55 करोड़ का प्राविधान है और लगभग 21430 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना (डी0पी0ए0पी0) के अधीन रु0 2.13 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु राज्य सरकार

द्वारा किये जाने वाले व्यय हेतु रु0 22.00 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि :

गत वर्ष की भांति, वर्ष 2003–04 हेतु विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 35.50 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज :

पंचायती राज संस्थाओं को 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर लगभग रु0 30.40 करोड़ प्रति वर्ष अनुदान अनुमन्य किया गया है, जिसके सापेक्ष्य 25 प्रतिशत मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाया जाना है। उत्तरांचल में पंचायती राज संस्थाओं के आय के सीमित साधनों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिस हेतु रु0 15.20 करोड़ का प्राविधान है। उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान के लिये नई मांग में रु0 2.50 करोड़ का प्राविधान है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण

के लिए रु0 4.16 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता :

कृषि कार्यों हेतु ऋण के अतिरिक्त जड़ी–बूटी कृषिकरण, जड़ी–बूटी दोहन तथा विपणन के कार्य में भी सहकारी समितियों का योगदान बढ़ाया जा रहा है। उन सभी गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक का निबन्धन किया जा चुका है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। दूसरी शीर्ष संस्था उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ का गठन भी किया जा चुका है तथा संघ द्वारा 1 अक्टूबर, 2002 से विधिवत कार्य आरम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का, जो अभी तक हरिद्वार एवं चमोली में संचालित थी, वर्ष 2002–2003 में जनपद पिथौरागढ़ में विस्तार किया गया है, एवं इस वर्ष जनपद उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं अल्मोड़ा में परियोजना का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। सहकारिता की विभिन्न

योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में कुल रु017.09 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि के रूप में अभिलिखित है। हमारी सरकार ने वनों के संरक्षण एवं प्रबन्धन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक वन क्षेत्रों को वन पंचायतों के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक राजस्व गांव में एक वन पंचायत गठित करने का लक्ष्य रखा है। सिविल एवं सोयम वन पंचायतों में वनीकरण का कार्य सीधे वन पंचायतों तथा संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने के उद्देश्य के संदर्भ में औषधि प्रजाति के पौधों को वन क्षेत्रों में लगाने के लिए अब तक 29 जड़ी–बूटी पौधालय स्थापित किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2002–2003 में 354 हैक्टेयर में औषधि प्रजातियों का रोपण किया गया है। इस वर्ष 550 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है तथा

आरक्षित वन क्षेत्र में 5 हर्बल गार्डेन व वन पंचायत क्षेत्रों में 3 हर्बल गार्डेन प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षात्मक कार्यों को सशक्त करने के उद्देश्य से संचार व्यवस्था को उपकरणों एवं मार्गों के सुधार के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है। वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु 80 किलोमीटर विद्युत तार–बाड़ गत वर्ष लगाई जा चुकी है और यह कार्य आगे जारी रहेगा। राजाजी पार्क के अन्तर्गत 1390 गुर्जर परिवारों में से 367 परिवार पुनर्वासित कराये जा चुके हैं तथा 207 और परिवारों को प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं तथा शेष को प्लाट आवंटित करने की कार्यवाही गतिशील है। वन मोटर मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिये इस वर्ष नई मांग से रु0 2.00 करोड़ का प्राविधान है। राज्य सरकार का वन विश्राम गृहों आदि के व्यावसायिक रूप से उपयोग का भी प्रस्ताव है। इसके क्रम में, तथा इसके समुचित रख–रखाव हेतु एक वन विकास निधि का गठन किया गया है जिसके लिये नई मांग से रु0 50 लाख का प्राविधान है।

श्रम एवं रोजगार :

प्रदेश में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए सेवायोजन एवं व्यवसाय मार्ग दर्शन इकाईयों को ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चम्पावत हेतु जिला सेवायोजन कार्यालय व कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए नई मांग से व्यवस्था की गयी है। जनजाति क्षेत्र कालसी, जनपद देहरादून व धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ में भी शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खूंट जनपद अल्मोड़ा, नैनबाग जनपद टिहरी, मछौड़ जनपद अल्मोड़ा, बाजपुर जनपद ऊधमसिंह नगर व कोटद्वार जनपद पौड़ी में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए नई मांगों के माध्यम से आय–व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करके मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित कर कार्य संस्कृति और कौशल विकसित कर उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं युक्तीकरण की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है। कुल मिलाकर श्रम तथा रोजगार से सम्बन्धित क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष रु0 29.92 करोड़ का प्राविधान है।

सामान्य प्रशासनिक सेवाएं :

पुलिस एवं जेल :

राज्य में विधि एवं व्यवस्था स्थापित करने तथा सुरक्षा का वातावरण बनाये रखने के लिए पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार की सहायता से पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत रु0 37.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। चम्पावत जिला मुख्यालय पर नये थाने के सृजन, काठगोदाम

तथा चोरगलिया पुलिस चौकी के उच्चीकरण, कोटेश्वर जनपद टिहरी गढ़वाल में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना तथा भारत–नेपाल सीमा पर 4 चौकियों हेतु पदों के सृजन हेतु आवश्यक व्यवस्था नई मांग के माध्यम से की गयी है। प्रदेश में अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है जिसके लिए रु0 1.32 करोड़ का प्राविधान है। अर्धकुम्भ मेला– 2004 में पुलिस प्रबन्ध के लिए भी रु0 16.22 करोड़ की व्यवस्था नई मांग के माध्यम से है। रुद्रप्रयाग में नए फायर स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। फायर स्टेशनों की स्थापना के लिए रु0 3.25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। पुलिस तथा कारागार विभाग के विभिन्न व्ययों के लिए वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में रु0 317.89 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। कारागार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिये विस्तृत योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है। इस हेतु इस वर्ष रु0 4.71 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

होमगार्ड्स :

होमगार्ड्स को मानदेय के भुगतान के लिए

रु0 4.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है तथा इस मद में अर्धकुम्भ मेले के लिए रु0 4.95 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इससे लगभग 12.60 लाख मानव दिवसों का रोजगार भी सृजित होगा। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का नागरिक सुरक्षा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा कराये जाने का निर्णय भी लिया गया है जिसके लिए नई मांग से लगभग रु0 1.00 लाख की व्यवस्था है।

न्याय प्रशासन :

जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए न्यायिक भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस हेतु रु0 30 करोड़ की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गयी है। 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर न्याय प्रशासन के उन्नयन के लिए रु0 1.52 करोड़ की व्यवस्था राजस्व पक्ष में की गयी है। प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की कमी होने के कारण अवकाश प्राप्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों के संचालन हेतु भी रु0 2 लाख की व्यवस्था नई मांग के माध्यम से की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में उत्तरांचल न्यायिक सेवा तथा

उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान दिनांक 1–7–1996 से पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

राजस्व प्रशासन व आपदा प्रबन्धन :

जिला कार्यालयों, तहसील भवनों व पटवारियों आदि के निर्माण के लिए इस वर्ष रु0 11.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

राजस्व पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए रु0 80 लाख की व्यवस्था की गयी है तथा राजस्व पुलिस को वाहन, वायरलैस आदि उपलब्ध कराने के लिए रु0 1.40 करोड़ की व्यवस्था है।

आपदा राहत हेतु आपदा राहत कोष के लिए रु0 40.78 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राज्य में आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसके संचालन एवं क्रिया कलापों के लिए रु0 40 लाख का प्राविधान किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

राज्य के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने हेतु मूल्य समर्थन योजना के

अन्तर्गत गेहूँ एवं धान का क्रय राज्य सरकार की क्रय एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा किसानों को तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

राज्य सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है व योजनाओं के लिए समय पर उचित गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध हो सके इसके लिए स्टेट पूल के अन्तर्गत खाद्यान्न का संग्रहण किया जा रहा है।

राज्य के उपभोक्ताओं के हितों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के रिक्त पदों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है ताकि उपभोक्ताओं को तत्काल निःशुल्क न्याय मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु रु0 12.13 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त खाद्य भण्डारण के अन्तर्गत रु0 210.00 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

समाचारों के त्वरित प्रेषण हेतु मुख्यालय तथा मीडिया सेंटर में ई–मेल की व्यवस्था की गयी है। सभी महत्वपूर्ण समाचार तथा फोटो ई–मेल द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। दिल्ली में भी उत्तरांचल निवास में राज्य सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। समाचार–पत्रों को पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से विज्ञापन जारी करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है। सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिससे पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। पत्रकारों के लिए जीवन बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

प्रदेश के समस्त जिला सूचना कार्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं। अब जिला कार्यालयों को मुख्यालय से नेटवर्किंग द्वारा जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अनुदान में लगभग रु0 9.47 करोड़ का प्राविधान है।

कर्मचारी कल्याण :

राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के लिए निरन्तर जागरूक एवं संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच कर्मचारियों के अंतिम आवंटन में अभी कुछ गतिरोध है जिसका शीघ्र ही निराकरण करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि का नियमित भुगतान तथा उनकी कटौतियों के विवरण एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली आरम्भ होने से उन्हें नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। हम प्रयासरत हैं कि राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय सभी सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त हो जायें, जिससे कि वे मनोयोग से अपने कार्य में लगे रहे। हमारी सरकार ने उन क्षेत्रों में भी पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किया है जहां वह पूर्व में अनुमन्य नहीं था। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ निरन्तर संवाद बनाते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है।

नियोजन :

नियोजन विभाग के अन्तर्गत नियोजन निदेशालय तथा अर्थ एवं संख्या निदेशालय का गठन किया जा चुका है । नियोजन विभाग के कार्यों के समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्य योजना आयोग व नियोजन निदेशालय के कार्यालयों के लिए रु0 3.00 करोड़ का प्राविधान नई मांगों से किया गया है। योजना, संरचना एवं कार्यान्वयन के साथ–साथ योजनाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की दिशा में भी समुचित व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इन्हें समय पर पूर्ण करने के साथ–साथ कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य को प्रभावी एवं सार्थक बनाने की दृष्टि से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य के लिए समुचित संस्थागत व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नई मांग से रु0 3.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

नियोजन विभाग द्वारा समन्वित की जा रही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत रु0 100.00 करोड़ का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण

पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषाहार, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

जिला स्तर पर भी विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु साहित्य मुद्रित कराकर वितरित किया जायेगा।

पिछले वर्ष रु0 9,050 करोड़ (रु0 नौ हजार पचास करोड़) की दशम पंचवर्षीय योजना प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना है। राज्य अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की दशम पंचवर्षीय योजना में विकास दर 8 प्रतिशत रखी गयी है। वर्ष 2003–2004 के लिये वार्षिक योजना का आकार रु0 1575.00 करोड़ निर्धारित किया गया है। हमारी सरकार संसाधनों में वृद्धि कर या अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर वार्षिक योजना का आकार रु0 1700 करोड़ तक लाने का पूर्ण प्रयास करेगी।

वार्षिक योजना 2003–2004 :

वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक में आयोजनागत

पक्ष में रु0 2715.99 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सहायतित तथा बाह्य सहायतित परियोजनायें सम्मिलित हैं। यह प्रयास किया गया है कि केन्द्र सहायतित तथा केन्द्र पुरोनिधानित व बाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक योजनाएं संचालित की जा सकें।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2003–2004 के बजट का वित्तीय विवरण :

प्राप्तियाँ :–

वर्ष 2003–2004 में रु0 7261.23 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 4595.78 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2665.45 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2003–2004 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 1650.56 करोड़ है। इसमें

केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 450 करोड़ सम्मिलित है।

व्ययः—

वर्ष 2003—2004 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 1531.16 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 795.57 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन—भत्तों आदि पर लगभग रु0 1512.95 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 504.56 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 285.08 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2003—2004 में कुल व्यय रु0 8090.56 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 5668.15 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 2422.41 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटाः—

समेकित निधि में रु0 2715.99 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 5374.57 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 1901.81 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 3766.34 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 814.18 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 1608.23 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2003—2004 में अनुमानित घाटा रु0 829.33 करोड़ है।

लोक—लेखा से समायोजनः—

वर्ष 2003—2004 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 200 करोड़ लोक—लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेषः—

वर्ष 2003—2004 में आरम्भिक शेष को लेते हुए

शुद्ध घाटा रु0 382.46 करोड़ होना अनुमानित है।

इस घाटे की पूर्ति हम वर्तमान कर ढाँचे का प्रभावकारी उपयोग कर तथा जनता के सहयोग से कर प्रशासन को चुस्त, सरल व करापवंचन के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कदम उठाकर तथा युक्तिकरण द्वारा करेंगे। इस संदर्भ में मैं, इस बजट के माध्यम से कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ। आयोजनेत्तर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययता एवं सरकारी देयों की वसूली जन सहयोग से प्रभावी तौर पर करने का भी सरकार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से भी अनुमानित घाटे की पूर्ति होने की संभावना है।

विकास की अनन्त यात्रा में प्रदेश को निरन्तर अग्रसर करने के लिए आप सभी सम्मानित सदस्यों ने जो गतिशील योगदान पिछले वर्ष दिया है उसके लिए मैं आप सभी का अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए मानव व आर्थिक संसाधनों का इस तरह से

नियोजन करें जिससे कि हमारे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके व आर्थिक स्तर ऊंचे उठे। मा0 सदस्यगण बजट साहित्य का गहराई से अध्ययन करने पर देखेंगे कि हमने अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या—क्या प्रयास किये हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा प्रशासन तंत्र भी जनता की आकांक्षाओं एवं उनकी पूर्ति हेतु चालू कार्यक्रमों व किये हुए वादों को पूरा करने में अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभायेगा क्योंकि कितनी भी अच्छी एवं उपयोगी योजनाएं क्यों न हों, यदि उनका कार्यान्वयन ठीक तरह से नहीं होता तो जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंचेगा। लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद की स्थापना व विजिलेंस प्रभाग के प्रभावी आधार पर कार्यशीलता से भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गहराई से जांच व कार्यवाही सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रशासन तंत्र एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन मुख्य रूप से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति से

करेगी। हमने ऐसे कदम उठाये हैं जिससे कि प्रशासन तंत्र अधिक चुस्त और उत्तरदायी बने तथा आदेशों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब न हो। इस सम्बन्ध में हमने यथासम्भव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार तथा प्रशासन तंत्र के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। हम प्रक्रिया के यथासम्भव सरलीकरण तथा प्रशासन तंत्र में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से तीव्र गति लाने का प्रयास भी करेंगे। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, पी0पी0एस0, पी0एफ0एस0 के काडर पुनरीक्षण व नियुक्तिकरण तथा विकासीय विभागों में नियुक्तियां पूरी हो जाने के पश्चात तत्सम्बन्धी बुनियादी कठिनाई का निराकरण भी हो सकेगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिपरिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक

आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका। अन्त में,

मुझे पतझड़ों की कहाँनियाँ न सुना–सुना के उदास कर,
नये मौसमों का पता बता जो गुज़र गया सो गुज़र गया।

एक बार फिर,

आओ मिलकर इन्कलाबे ताज़ा नौ पैदा करें।
दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें।।

रचनात्मक आह्वान के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2003–2004 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

ज्येष्ठ 22, शक संवत् 1925
तद्नुसार,
12 जून, 2003